न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–94/2021 (जीसीएमएस नं0 2021/101)

उनवान –सरकार बनाम प्रदीप कुमार गोयल, मैसर्स मोर मुकट मिष्ठान भण्डार कलेक्ट्रेट के सामने धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –08.07.2021

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री प्रदीप कुमार गोयल(विक्रेता) पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल एंव श्री अशोक कुमार गोयल (मालिक) जाति वैश्य मैसर्स मोर मुकट मिष्ठान भण्डार कलक्ट्रेट के सामने धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2020 को अप्रार्थीगण की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान में रखे फ्रीजर में लगभग 15 किलोग्राम खोआ आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त खोआ में मिलावट का शक होने पर उक्त खोआ में से एक किलोग्राम खोआ वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त खोआ नमूना डी–1879 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट एलएस/597/एसीटी/2020/669 दिनांक 30.10.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खोआ सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। अप्रार्थीगण पश्चातवर्ती अपराध कारक होने के कारण धारा 51 एवं 64 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैडर्ड खोआ का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड खोआ बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री प्रदीप कुमार गोयल(विक्रेता) पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल एंव श्री अशोक कुमार गोयल (मालिक) जाति वैश्य मैसर्स मोर मुकट मिष्ठान भण्डार कलक्ट्रेट के सामने धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एंव चूंकि अप्रार्थीगण पश्चातवर्ती अपराध कारक होने के कारण धारा 64 के तहत 6,000/–रुपये (छः हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज)

(नरेन्द्र के वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)